

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

सांविधिक संस्थान निफ्ट अधिनियम 2006 वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY

A Statutory Institute under the NIFT Act 2006 Ministry of Textiles, Government of India

File 4345(5)/Admin/IT-Procurement/2016-17 (PART-I)

Date: - 1.5.2024

Joint Director

भाव पत्रक / Rate Enquiry Letter

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) मुंबई द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए उद्वरण आमंत्रित करता हैं

Quotations are hereby invited by NIFT, Mumbai for the following work.

कार्य का नाम :- निफट मुंबई प्लॉट नंबर 15 & 20 पर रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस की खरीद और स्थापना।
Name of the Work: - Purchase and install of Radio Frequency device at NIFT Mumbai plot No.15 &.20.

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	मात्रा	दर (रूपये)	राशि (रूपये)
1	RF Device 1KM range Tx-Rx Wifi connectivity Upto 1.5 Gbps throughput, Upto 1.5 KM link range, support 60 GHz band	2		
2	Installation and Commissioning	1		

निफट बिना कोई कारण बताए निम्नतम या सभी उद्धरण को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं। The under singed reserves the right to accept or reject the lowest or all the quotations without assigning any reasons

Seal and Signature of the Agency

Date 01 05/24

नियम एवं शर्ते / Terms and conditions

- 1) भाव पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 3.5.2024 को 3.00 बजे तक हैं।
 Last date of receipt of sealed quotation is 3.5.2024 up to 3:00 PM.
- 2) उद्धृत दरे 90 दिनों के लिए मान्य होगी | The quoted rates must be valid for 90 days.
- 3) उदधृत कुलराशी के आधार पर सफल एजेंसी का निर्णय लिया जाएगा | L1 agency will be decided based on the total amount quoted..
- 4) एजेंसी को कार्य करने के लिए निफ्ट अधिकारी द्वारा स्वीकृत सामग्री का उपयोग करना हैं | The work shall be executed with material as approved by NIFT Official.

डिज़ाइन, मैनेजमेंट और प्रौद्योगिकी का सर्वश्रेष्ठ संस्थान A Premier Institute of Design, Management and Technology (An ISO 9001: 2015 certified institute)

निफ़्ट कैम्पस, प्लॉट नं. 15, सेक्टर 4, खारघर, नवी मुंबई - 410210, महाराष्ट्र NIFT Campus, Plot No.15, Sector 4, Kharghar, Navi Mumbai - 410210, Maharashtra © + 91 022 27747000 | + 91 022 27747100 | + 91 022 27745386 | e: nift.mumbai@nift.ac.in

www.nift.ac.in



- 5) कार्य के मूल्य / दर, उपयोग में आने वाले सामन, किराया, परिश्रम और उपयुक्त कर सहित उदधृत करने चाहिए, जीएसटी के आलावा अलग से किसी भी रस्शी का भुगतान नहीं किया जाएगा [The quoted rates will be inclusive cost of all material requires, transportation, labour and taxes as applicable nothing shall be paid extra except GST.
- कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा. No advance payment will be made.
- 7) नमूना की अनुमति प्राप्त होने के उपरांत, एजेंसी को कार्य 10 दिनों तक पूरा करना होगा | कार्य पूरा करने में देरी के लिए पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।

The agency has to complete the work within 10 days after getting the approval of sample penalty @250 per day will be imposed for delay in completing of the work.

- एजेंसी सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्य को अंजाम दे और अपने कर्मियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगी. The agency should execute the work keeping safety rules in mind and will be responsible for the safety of its workers.
- 9) कार्य करने समाप्ति पर कार्य की मात्र भिन्न हो सकती हैं इसलिए कार्य का भुगतान वास्तविक पैमाईश के आधार पर बिल और जमा करने पर किया जाएगा ! Quantity of work may vary at the time of execution hence payment shall be made on actual basis on submission of bill with measurement sheet.
- 10) मापदंड के अनुसार एजंसी द्वारा किया गए जीएसटी के भुगतान का प्रमाण प्राप्त होने के बाद ही निफ्ट द्वारा एजेंसी को भुगतान जरी किया जाएगा | The payment will be released by NIFT to the agency only after the submission of proof of payment of GST made by the agency as per the criteria is received.
- 11) कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटी नोने पर निफ्ट के अनुसार एजेंसी को कार्य की मरम्मत करनी होगी | In lie of an defect the work shall be repaired by the agency if NIFT Desires so.
- 12) किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार नवी मुंबई होगा। In case of any dispute the jurisdiction of Court will be Navi Mumbai.
- 13) प्रतिस्पर्धी दरों को उद्धृत करने से पहले एजेंसी को परिसर का दौरा करना चाहिए और प्रम्तुत किए जाने वाले क्षेत्र /कार्य के भौतिक मूल्यांकन और माप आदि के बारे में स्पष्टीकरण के लिए निफ्ट के अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

The agency must visit the campus an contact to NIFT's Official for clarifications about physical assessment of Area / work to be furnished and about measurement etc. before quoting the competitive rates

जीएसटी नियमानुसार लागू होगा / GST will be applicable as per rule

ιı	17 OOT WILL BE applicable as per rais:							
	क्रम संख्या	पंजीकरण का विवरण	पंजीकरण संख्या					
		Details of Registration	Registration No.					
	1	GST						
	2	Pan Card						

एजेंसी का नाम और पता मैसर्स	Co of Thomas	संयुक्त निदेशक
दूरभाष नंबर	* semment	

Signature of the Agency

Date